प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 23 जुलाई,2026

विषय :- जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजवीर पुत्र श्री हरवंश निवासी जनपद-मेरठ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-37920/प्रो0अनु0(2)-305/2025/(बैठक दिनांक-23.09.2025) दिनांक-30-09-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजवीर पुत्र श्री हरवंश, जो मोरना, थाना-हस्तिनापुर, जनपद-मेरठ का निवासी है। दिनांक 16/17.01.1997 को इकवारा काण्ड में छः हरिजनों की गला काटकर हत्या कर दी थी उसी का बदला लेने के उद्देश्य से बन्दी ने पुलिस वर्दी में अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रात को दरवाजा खुलवाकर तमन्चे से अन्धाधुन्ध गोलियां चलाकर मौजी, संजय, करतार, बाबू सुभाष एवं नरेन्द्र नामक 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं वालेश्वर व रोहताश नामक 02 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस० टी० नं0-647/1997, भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 21.04.1999 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.09.2025 तक अपरिहार 20 वर्ष, 09 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 05.09.2025 तक बंदी की आयु लगभग 66 वर्ष है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रसार-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी नहीं आता है। (2) बंदी पुनः अपराध कर सकता है (3) बन्दी पुनः अपराध करने में सशक्त है। (4) बन्दी का भय व आतंक गांव व क्षेत्र में व्याप्त है अतः जेल में और आगे निरुद्ध रखने की सार्थक प्रयोजन हैं। (4) बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.01.2015 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 16/17.01.1997 को इकवारा काण्ड में छः हरिजनों की गला काटकर हत्या कर दी थी उसी का बदला लेने के उद्देश्य से बन्दी ने पुलिस वर्दी में अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रात को दरवाजा खुलवाकर तमन्चें से अन्धाधुन्ध गोलियां चलाकर मौजी, संजय, करतार, बाबू सुभाष, एवं नरेन्द्र नामक 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं वालेश्वर व रोहताश

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

नामक 02 व्यक्तियों को घायल कर दिया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, आयु अधिक होने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजवीर पुत्र श्री हरवंश को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर 180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजवीर (बन्दी संख्या-2636/2023) पुत्र श्री हरवंश निवासी जनपद-मेरठ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-992/2026/2108(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in